रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] **नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937**

No. 126] **NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/ PAUSA 25, 1937**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

का. आ. 142(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

कर्नाटक के कुर्ग जिले की पश्चिमी दिशा में स्थित तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा के उपबंधों के अधीन एएचएफएफ 173 एफ डब्ल्यू एल 87 (1), तारीख 31.8.1987 द्वारा अधिसूचित है और 12^{0}17' से 14$^{0''}$ से 12^{0}44 से 26$^{0'}$ 38'' उत्तरी अक्षांश और 75^{0} 25' से 23$^{0''}$ से 75^{0}33 15$^{0''}$ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है जो 105.59 वर्ग किलोमिटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी घाट का केन्द्र बिंदु हैं जिसकी विशेषता 35 प्रतिशत से अति ढाल वाले अभयारण्य क्षेत्र के 85 प्रतिशत से अधिक का भू भाग ऊबड खाबड है, और जिसमें 6000 मि.मि. से 7000 साधारण मीटर के बीच उच्च वर्षा होती है, समृद्ध जैव विविधता स्थानीक वाद के उच्च दर और चीता, मालावार बिलाव, बाघ, लघु पुच्छ वानर, त्वांग, नीलगिरी मार्टन, जंगली कुत्ता, एशियाई हाथी, पंजा रहित ऊदबिलाव जैसी नाजुक रूप से संकटग्रस्त और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए आश्रय है।

अभयारण्य पट्टी घाट और पादीनलकनाडु आरक्षित वनों जैसे बहुत से आरक्षित वनों से घिरा हुआ होने के कारण एशियाई हाथी और चीता जैसे बड़े स्तनधारियों के लिए विस्तारित प्राकृतिक वास की व्यवस्था करता है और हाथी परियोजना के अधीन घोषित मैसूर हाथी रिजर्व का भाग है तथा यह कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय पार्क तथा ताला कावरी वन्य जीव अभयारण्य और केरल राज्य में व्यानाद तथा अरालम वन्य जीव अभ्यारणों के बीच घूमने के लिए बड़े स्तनधारियों के लिए महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है।

और, अभयारण्य क्षेत्र में अत्यधिक वनस्पति और जीव जंतु विविधता है,अभयारण्य विशाला रूप से शोला चारागाहों से अलंकृत सदाबहार और अर्द्ध सदाहार वनों [चैंपियन और सेठ वर्गीकरण का ए/सी$_3$, 2ए/सी$_2$, 1ए/सी$_3$, 8ए(सी1/डीएस1] से मिलकर बना है और वनस्पति में डिपेटेरो कारप्स इन्डिक्स, एन्टियारिस टोक्सिकेरिया, किगिंओडेन्ड्रान पिन्नाटेम, डायोस्पारोउस ईबेनम, अलसोटोनिया स्कोलारिस, विस्सोफिया जावानाइका, कैलोफाइलम एपेटलम, सिना मोमम जेयलानाइकम, डलबर्जिया लेटिफोलिया, लेजर स्ट्रोमिया लेंसीयोलेटा, पेट्रोकारपस मार्सुपियम,वेटेरिया इंडिका, इलियो कार्पस एसपी केनिमा एटेनियुएट, मिर्सटिका एसपी, पालाक्यूइम एलिपटिकम, ; गारसाइना एस पी, मैकिलस मकारंथा, मेसुआ फेरिई, होपिया पारवीफ्लोरा, डाइसोएक्सीलम माला बरिकम, कैनारियम स्ट्रिक्टम, एग्जोमथोएक्साइलम, टेट्रास्पर्मम, कैलोफाइलम एपेटुलम, अरेंजा वाइटिली, कोसेनियम फेनेसट्राटम, हाइडोनोकार्पस पेंट्राड्रा, मौउलवा स्पाइकेटा, मापिया फोइटिडा, जिनेटम ऊला जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं।

और, अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जंतु जिनके अंतर्गत बाघ, तेदुआ, जंगली कुत्ता, हाथी, गौर, संबर, भौंकने वाले हिरण और छोटे स्तनपायी जंतु, जिनमें नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी चितराला पंजा रहित ऊदबिलाव, भूरा मुसंग, तेंदुआ बिल्ली, तवांग, ट्रावनकोर उड़न गिलहरी, और अन्य हैं तथा वन्य जीव में किंग कोबरा, इंडियन राक पाइथन पाए जाते हैं।

और, इस अभयारण्य को पश्चिमी घाट के सोलह देशज पक्षियों में से तेरह पाए जाने वाले पक्षियों के रूप में पश्चिमी घाट में महत्वपूर्ण खग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। और अभयारण्य में देशज और संकटग्रस्त पेपिलियन निड तितलियां जैसे मालाबार लहरदार मोर, पेरिस मोर, मालाबार काला कौआ और मालाबार लहरदार अबाबिल पुच्छी तितली तथा वयस्क पक्षी जिसमें मालाबार पाइड होर्न बिल, मालाबार भूरी होर्नबिल मालाबार सदा सुहागिन, मालाबार चिलबिल, व्यानंद चिलबिल, श्वेत उदर वाला तरुपाई, आरेंज और ब्लैक फ्लाईकैचर तथा नीलगिरी फ्लाईकैचर को भी आश्रय मिलता है।

संरक्षित क्षेत्र कावेरी नदी के लिए आवाह क्षेत्र है जो तालाकावेरी से निकलती है और अभयारण्य डोडाहोल, नाडूबेलहोल, बिटेमेलहोल, कुमेकोली और मुंडराहोल जैसी बारहमासी सरिताओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है जो तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य द्वारा दी गई पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं के महत्व का वर्णन करती हैं।

और, वीर ऐशवान वन्यसजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य के इर्दगिर्द 0.1 किलोमीटर से 15.225 किलोमीटर की सीमा तक के क्षेत्र को तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 105.671 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसका विस्तार तालाकावेरी वन्य. जीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 0.1 किलोमीटर से 15.225 किलोमीटर तक है और जिसकी सीमाओं का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले छह गांवों जिसके प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में संलग्न हैं।

(3) अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर और अभयारण्य पर मुख्य अवस्थान **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना--(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय लोगों से परामर्श करके और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की जाएगी ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उक्त महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा ।

(4) आंचलिक महायोजना इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बातों को समाकलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ; और

(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) उक्त योजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विर्निदिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(6) उक्त योजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए ब्यौरे उपलब्ध होंगे ।

(7) उक्त योजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) उक्त योजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 12, 18, 24, 29 और सं. 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ट गृह;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा उनका सदृढीकरण,

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रतीत होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक करने की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि जिससे हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनुपयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा की जाएगी और संरक्षा के लिए अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान करनी होगी और अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा –

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों के अधीन तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गति के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईया** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिकी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए

		देशी टाइलों और ईटो का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21.अप्रैल 2014 के अंतरिम आदेश के सर्वदा अनुसरण में होंगी।
(2)	आरा मीलो की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलो का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नई वृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थ जिसके अंतर्गत नाशकजीव मार और कीटनाशी भी हैं का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा: परंतु यह भी कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समाप्ति अवधि पर नहीं किया जाएगा।
(10)	फर्मों, कारपोरेटों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	प्लास्टिक के कैरी बैग, लैमिनेटों और टेट्रापैकों का उपयोग	प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटों और टेट्रापैकों का निर्माण सर्वदा विनियमित और मानीटर किया जाएगा और लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(12)	होटल और रिसोर्ट की स्थापना	(क) पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं: (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक एक कि.मी. से परे सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थाकनीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पकन्न, नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि

		कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थापनीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्यक वाणिज्यिरक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा।
(14)	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों तथा संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना का अनुसरण किया जाएगा।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी स्रोत जल जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(16)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	(i) भूमिगत केबल बिछाई को प्रोत्साहित करना। (ii) विद्यमान घरेलू लाइनें-यदि भूमि के ऊपर है तो < 20 डिग्री ढाल के लिए 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और >30 डिग्री से कम ढाल के लिए यह भूमि से 30 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए। (iii) घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत लाइनों के किसी भावी बिछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना है। (iv) 11 केवी से अधिक किसी प्रेषण लाइन के लिए, दो टावरों के बीच "सैग" बिंदु भूमि से कम से कम पंद्रह मीटर पर होना चाहिए।
(17)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	प्राकृतिक जलाश्यों या भू क्षेत्रों में उपचारित बहि:स्रावों का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान	उपचारित बहि:स्रावों के पुन:चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा।
(23)	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।

(25)	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	वायु और यानीय प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(29)	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(30)	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर	- अध्यक्ष ;
(ii)	माननीय विधान सभा सदस्य, मेडिकेरी निर्वाचन क्षेत्र, कोडागु जिला	– सदस्य ;
(iii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	- सदस्य;
(iv)	शहरी विकास विभाग कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(v)	प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है), का पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामर्निदिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि	- सदस्य ;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर	- सदस्य ;
(vii)	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला कर्नाटक राज्य के ख्यातिप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	– सदस्य;
(viii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि कोडागु जिला, मेडिकेरी	- सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, मेडिकेरी वन्य जीव अभयारण्य प्रभाग, मेडिकेरी	- सदस्य सचिव

6. निर्देश के निबंधन :

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन आने वाले ऐसे

क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध प्रखंड आयुक्त या संबद्ध पार्क उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे ।

[फा. सं. 25/163/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

तालाकावेरी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा वर्णन

उत्तर और पूर्व तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन पट्टी घाट रिर्जव वन की डी रेखा की बिंदु से प्रारंभ होकर जो पट्टी घाट रिजर्व वन का प्रारंभिक बिंदु भी है और पट्टी धार रिजर्व वन की सीमा के साथ उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिशा (उत्तरी पूर्वी और दक्षिण) की ओर जाती है, भागमंडाला ग्राम में जी.पी.एस.निर्देशांक उ.12.422073, पू.75.504575 की स्थिति बिंदु तक पहुँचती है ।

इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भागमंडाला, थानीमानी और वन, चेरानगाला, सान्नापुलीकोट्टु, अईयानगेरी, और वन और पेरूर ग्रामों से होते हुए तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य की पूर्वी निर्देशांक उ. 12.306759, पू.75.552426 की स्थिति बिंदु तक पहुँचती है इसके बाद रेखा दक्षिण दिशा की ओर जाती है इसके बाद सीमा पडीनालकनडु रिजर्व वन की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में मुडती है ।

दक्षिण और पश्चिम इसके बाद सीमा लयनगेरी ग्राम सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है यह पदीनालकनाडु रिजर्व वन की पश्चिम सीमा के बिंदु पहुँचती है और इसके बाद रेखा पदीनालाकनाडु और पट्टी दिशा की ओर जाती है यह आरंभिक बिंदु तक पहुँचती है ।

उपाबंध II

तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निम्नलिखति 6 (छह) ग्राम सम्मिलित हैं जो कि मादीकेरी तालुक के भीतर आते हैं :

मानचित्र आई.डी	ग्राम के नाम	तालुक के नाम	ग्राम का विस्तार	अक्षांश और देशांतर	टिप्पणी *
1	भागामंडाला	मादीकेरी	8.89	उ.12.389128 पू.75.529261	100 मीटर
2	थान्नीमनी और वन	मादीकेरी	41.1	उ.12.401462 पू.75.505351	100 मीटर
3	चेरानगाला	मादीकेरी	64.2	उ.12.361198 पू.75.517750	100 मीटर
4	सन्नापुलीकोटु	मादीकेरी	33.3	उ.12.337607 पू.75.545373	100 मीटर
5	अईयानगेरी और वन	मादीकेरी	14.9	उ.12.330038 पू.75.563277	100 मीटर
6	पेरूर	मादीकेरी	7.22	उ.12.296981 पू.75.578379	100 मीटर
कुल			**169.86**		

* गांव की सीमा में आसपास के निजी भूमि में अपनाया भूमि उपयोग पैटर्न मुख्य रूप से बागवानी फसलों (कॉफी और इलायची), मानव और मवेशी इकाइयां और राजस्व जंगल हैं।

उपाबंध III

अक्षांश और देशान्तर के साथ गुडेकोटे तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

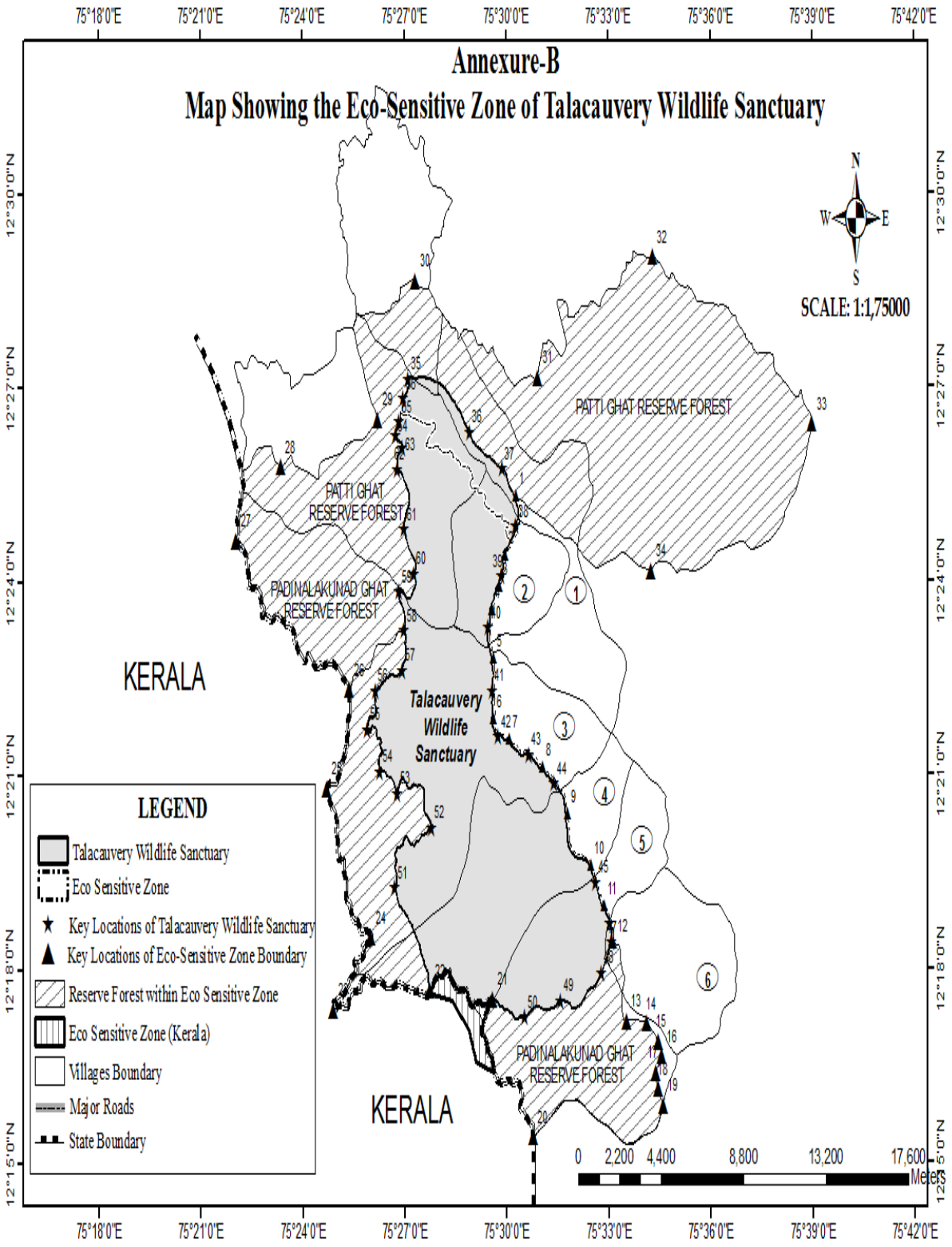

उपाबंध IV

तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य सीमा की प्रमुख अवस्थानों के निर्देशांक (भूमंडलीय स्थित प्रणाली)

मानचित्र में स्थिति	अक्षांश में डिग्री दशमलव	देशांन्तर में डिग्री दशमलव
1	75.50457500	12.42207300
2	75.49919800	12.40694800
3	75.49641300	12.39880700
4	75.49284200	12.39288300
5	75.49342900	12.38033000
6	75.49345900	12.36457700
7	75.50138000	12.35940700
8	75.51763900	12.35233500
9	75.52972100	12.33999200
10	75.54123800	12.32685600
11	75.54789600	12.31626600
12	75.55242600	12.30675900
13	75.55856000	12.28664100
14	75.56860100	12.28607100
15	75.57412200	12.28133200
16	75.57589000	12.27750700
17	75.57305600	12.27332200
18	75.57409000	12.26911200
19	75.57653400	12.26483400
20	75.51268700	12.25680100
21	75.49311000	12.29243200
22	75.46221000	12.29459000
23	75.41497600	12.28981600
24	75.43332200	12.30832800
25	75.41161600	12.34674200
26	75.42273600	12.37224800
27	75.36720700	12.41072700
28	75.38916100	12.42987500
29	75.43690300	12.44207900
30	75.45523100	12.47786600
31	75.51531100	12.45282600
32	75.57168400	12.48371500
33	75.64994700	12.44070000
34	75.57076300	12.40285700

मानचित्र में स्थिति	अक्षांश में डिग्री दशमलव	देशांन्तर में डिग्री दशमलव
35	75.45185700	12.45238700
36	75.48198300	12.43872000
37	75.49792700	12.42922700
38	75.50470600	12.41429500
39	75.49745000	12.40163000
40	75.49107700	12.38820000
41	75.49292200	12.37200200
42	75.49594100	12.36030600
43	75.51090300	12.35541000
44	75.52347800	12.34799800
45	75.54362100	12.32248900
46	75.55058500	12.31185000
47	75.55152200	12.30697200
48	57.54632800	12.29909600
49	75.52646400	12.29203500
50	75.50885300	12.28778900
51	75.44529200	12.32126500
52	75.46334700	12.33674900
53	75.44635600	12.34551600
54	75.43786500	12.35123400
55	75.43174200	12.36203400
56	75.43562700	12.37209200
57	75.44888800	12.37729300
58	75.44983700	12.38758700
59	75.44730100	12.39758100
60	75.45460900	12.40217800
61	75.44980200	12.41361100
62	75.44648900	12.42925300
63	75.44901000	12.43479500
64	75.44562300	12.43807900
65	75.44757500	12.44147400
66	75.44941600	12.44738300

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा-राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर महयोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।
6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2016

S.O. 142(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Talacauvery Wildlife Sanctuary situated in western side of Coorg District, Karnataka lies between North Latitudes 12^0 17' 14" to 12^0 26' 38" and the East Longitudes 75^0 25' 23" to 75^0 33' 15" notified *vide* AHFF 173 FWL 87 (I) dated 31-08-1987 under the provisions of the sub-section (1) of section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is spread over an area of 105.59 square kilometres.

AND WHEREAS, the Talacauvery Wildlife Sanctuary forming the core of western ghats is characterized by rugged terrain with more than 85% of the sanctuary area having very steep slope of more than 35%, high rainfall ranging between 6000 mm to 7000 mm, rich biodiversity, high rate of endemism and home for critically endangered and endangered species like Tiger, Malabar Civet, Lion tailed macaque, Slender loris, Nilgiri Marten, Wild Dog, Asian Elephant, Clawless Otter respectively.

AND WHEREAS, the sanctuary being surrounded by many reserve forests like Patti Ghat and Padinalknadu reserved forests, the sanctuary provides extended habitat for large mammalia like Asian Elephant and Tiger and forms part of the Mysore Elephant Reserve declared under the Project

Elephant. It acts as an important corridor for large mammals to move between Nagarahole National Park and Talacauvery Wildlife Sanctuary in Karnataka and Wayanad and Aralam Wildlife Sanctuaries in Kerala state.

AND WHEREAS, the sanctuary area has a very high Floral and Faunal diversity, the sanctuary largely consists of evergreen and semi-evergreen forests interspersed with shola grasslands [$1A/C_3$, $2A/C_2$, $1A/C_3$, 8A (C1/DS1) of Champion and Seth classification] and the vegetation comprises of very important species like *Dipterocarpus indicus, Antiaris toxicaria, Kingiodendron pinnatum, Diospyrous ebenum, Alstonia scholaris, Bischofia javanica, Calophyllum apetalum, Cinnamomum zeylanicum, Dalbergia latifolia, Lagerstroemia lanceolata, Pterocarpus marsupium, Vateria indica, Elaeocarpus sp., Knema attenuate, Myrstica sp., Palaquium ellipticum, Garcinia sp., Machilus macarantha, Mesua ferrea, Hopea parviflora, Dysoxylum malabaricum, Cannarium strictum, Xanthoxylum tetraspermum, Calophyllum apetulum, Arenga whitii, Cossinium fenustratum, Hydnocarpus pentandra, Moullava spicata, Mapia foetida, Gnetum ula,* etc.

AND WHEREAS, the large mammals found in the sanctuary include Tiger, Leopard, Wild Dog, Elephant, Gaur, Sambar, and Barking deer and smaller mammals include Lion tailed macaque, Nilgiri langur, Nilgiri Marten, Clawless otter, Brown palm civet, Leopard cat, Slender loris, Travancore flying squirrel and others and wildlife includes King cobra, Indian rock python.

AND WHEREAS, the sanctuary has been identified as one of the important bird areas in the Western Ghats as 13 of the 16 endemic birds of the Western Ghats are found here and the sanctuary also harbours endemic and endangered Papilionid butterflies viz, Malabar banded peacock, Paris peacock, Malabar raven, and Malabar banded swallowtail and major birds includes Malabar pied hornbill, Malabar grey hornbill, Malabar trogon, Malabar whistling thrush, Wyanaad laughing thrush, white-bellied tree-pie, orange and black flycatcher and Nilgiri flycatcher.

AND WHEREAS, this protected area is catchment for river Cauvery which originates from Talacauvery and the sanctuary also acts as an important catchment area for Perennial streams like Dodda Hole, Nadumale Hole, Betemale Hole, Kume Kolli and Mundra Hole which depicts the importance of eco-system services offered by Talacauvery wildlife sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the geographical area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Talacauvery Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.1 km to 15.225 kms around the boundary of Talacauvery Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Talacauvery Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The area of Eco-Sensitive Zone is 105.671 square kilometres with an extent varying from 0.1 kilometres to 15.225 kilometres around the boundary of Talacauvery Wildlife Sanctuary and the boundary details of such Zone are given in **Annexure-I**.

(2) The list of six villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

(4) Key locations on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Municipal,
(vi) Revenue,
(vii) Agriculture,
(viii) Karnataka State Pollution Control Board,
(ix) Irrigation,
(x) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,
(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
(iii) Small scale industries not causing pollution,
(iv) Rainwater harvesting, and
(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided further that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Talacauvery Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
11.	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored and shall be regulated under applicable laws.
12.	Establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. (b) Beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (d) Construction activity in the Eco-sensitive zone shall be as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.

15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling. (ii) Existing domestic lines – if over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground iii) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground (iv) For any transmission line more than 11KV the "sag" point should be at least 15 meter from the ground.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.

Promoted activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

1. Regional Commissioner, Mysore – Chairman
2. Hon'ble Member of Legislative Assembly, Madikeri Constituency, Kodagu District – Member
3. Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;
4. Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member;
5. Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year – Member;
6. The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;
7. One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year – Member;
8. Deputy Commissioner or his representative, Kodagu District, Madikeri – Member
9. The Deputy Conservator of Forests, Madikeri Wildlife Division, Madikeri – Member-Secretary.

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F.No.25/163/2015-ESZ-RE]

,Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary Description of Talacauvery Wildlife Sanctuary

North and East: The Eco-Sensitive zone boundary of Talacauvery Wildlife Sanctuary starts at a point on the D line of the Patti Ghat reserve forest which is also the starting point of Pattighat reserve forest and runs in north eastern and eastern direction all along the northern, eastern and southern boundary of Pattighat reserve forest till it reaches a point bearing GPS co-ordinates N-12.422073, E-75.504575 at Bhagamandala village.

Then the Eco Sensitive Zone boundary runs at a width of 100 meters all along the eastern and south eastern boundary of Talacauvery Wildlife Sanctuary through Bhagamandala, Thannimani and Forest, Cherangala, Sannapulikotu, Aiyangeri and Forest and Perur villages till it reaches a point bearing GPS co-ordinates N-12.306759, E-75.552426 at Perur Village. The line then runs in Southern direction and touches eastern boundary of Padinalknadu Reserve forest. Then the boundary move in south-eastern direction all along the eastern boundary Padinalknad reserve forest

South and West:- Then the boundary runs in western direction all along Iyangeri village boundary till it reaches a point on the western boundary of Padinalknadu reserve forest and Later the line runs in the northern direction all along the western boundaries of Padinalkanadu and Pattighat reserve forests till it reaches the starting point.

Annexure-II

List of the villages falling within the Talacauvery Wildlife Sanctuary

The Eco-sensitive Zone of Talacauvery Wildlife Sanctuary consists of the following 06 (Six) villages all falling under Madikeri Taluk.

Map ID	Name of the Village	Name of the Taluk	Extent of each village in ha.	Latitude & Longitude	Remarks
1	Bhagamandala	Madikeri	8.89	N 12.389128 E 75.529261	100 meters
2	Thannimani and Forest	Madikeri	41.1	N 12.401462 E 75.505351	100 meters
3	Cherangala	Madikeri	64.2	N 12.361198 E 75.517750	100 meters
4	Sannapulikotu	Madikeri	33.3	N 12.337607 E 75.545373	100 meters
5	Aiyangeri and Forest	Madikeri	14.9	N 12.330038 E 75.563277	100 meters
6	Perur	Madikeri	7.22	N 12.296981 E 75.578379	100 meters
Total			**169.86**		

The land use pattern adopted in the adjoining private lands in the village limits are mainly Horticultural crops (Coffee and Cardamom), Human and Cattle dwelling units and revenue forests.

ANNEXURE-III

Map of Eco-sensitive Zone

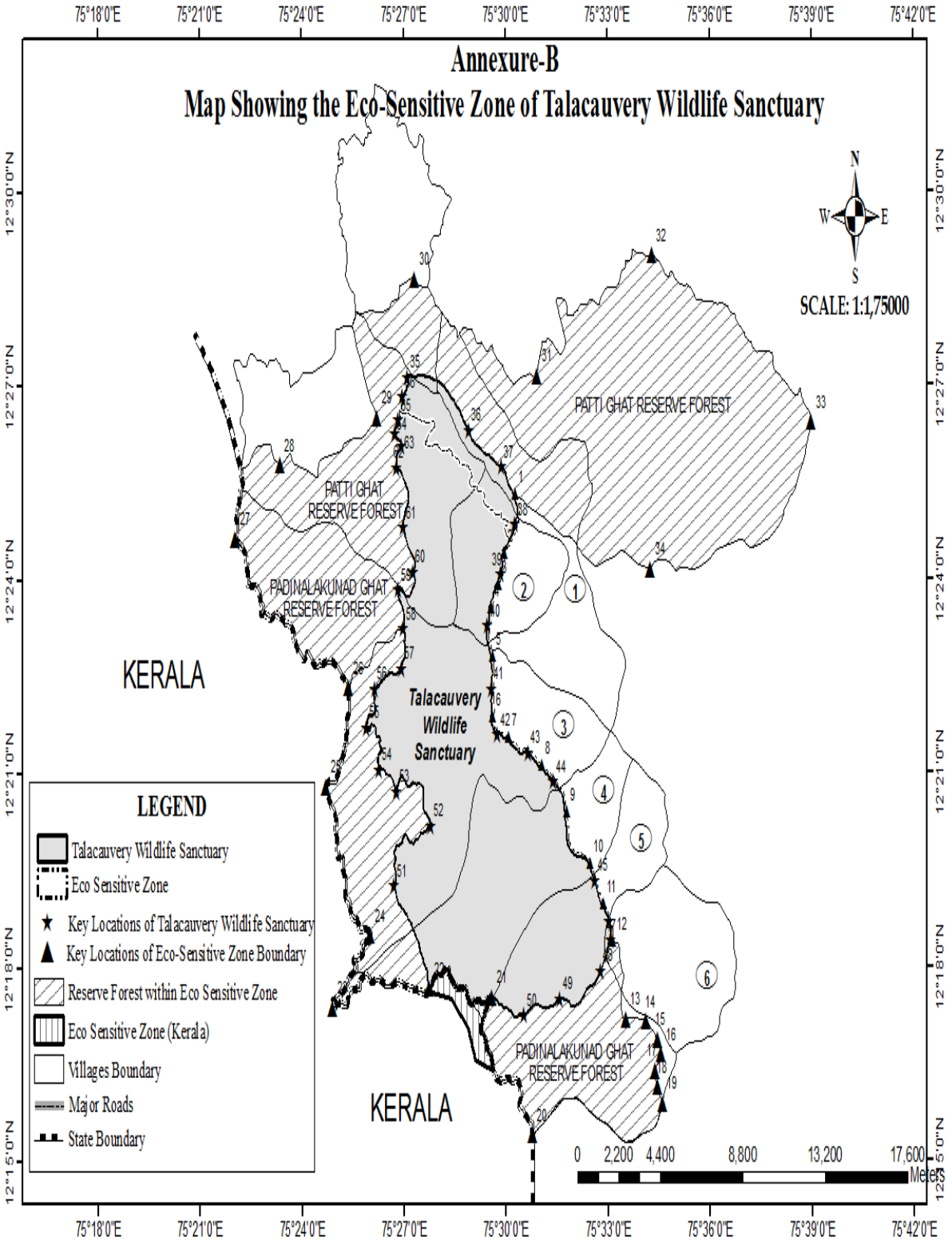

ANNEXURE-IV

Key locations (Global Positioning System) on the Talacauvery Wildlife Sanctuary boundary.

Location on the Map.	Latitude in Degree-Decimals	Longitude in Degree-Decimals
35	75.45185700	12.45238700
36	75.48198300	12.43872000
37	75.49792700	12.42922700
38	75.50470600	12.41429500
39	75.49745000	12.40163000
40	75.49107700	12.38820000
41	75.49292200	12.37200200
42	75.49594100	12.36030600
43	75.51090300	12.35541000
44	75.52347800	12.34799800
45	75.54362100	12.32248900
46	75.55058500	12.31185000
47	75.55152200	12.30697200
48	75.54632800	12.29909600
49	75.52646400	12.29203500
50	75.50885300	12.28778900

Location on the Map.	Latitude in Degree-Decimals	Longitude in Degree-Decimals
51	75.44529200	12.32126500
52	75.46334700	12.33674900
53	75.44635600	12.34551600
54	75.43786500	12.35123400
55	75.43174200	12.36203400
56	75.43562700	12.37209200
57	75.44888800	12.37729300
58	75.44983700	12.38758700
59	75.44730100	12.39758100
60	75.45460900	12.40217800
61	75.44980200	12.41361100
62	75.44648900	12.42925300
63	75.44901000	12.43479500
64	75.44562300	12.43807900
65	75.44757500	12.44147400
66	75.44941600	12.44738300

Key locations (Global Positioning System) on the Eco Sensitive Zone boundary

Location on the Map.	Latitude in Degree-Decimals	Longitude in Degree-Decimals
1	75.50457500	12.42207300
2	75.49919800	12.40694800
3	75.49641300	12.39880700
4	75.49284200	12.39288300
5	75.49342900	12.38033000
6	75.49345900	12.36457700
7	75.50138000	12.35940700
8	75.51763900	12.35233500
9	75.52972100	12.33999200
10	75.54123800	12.32685600
11	75.54789600	12.31626600
12	75.55242600	12.30675900
13	75.55856000	12.28664100
14	75.56860100	12.28607100
15	75.57412200	12.28133200
16	75.57589000	12.27750700
17	75.57305600	12.27332200

Location on the Map.	Latitude in Degree-Decimals	Longitude in Degree-Decimals
18	75.57409000	12.26911200
19	75.57653400	12.26483400
20	75.51268700	12.25680100
21	75.49311000	12.29243200
22	75.46221000	12.29459000
23	75.41497600	12.28981600
24	75.43332200	12.30832800
25	75.41161600	12.34674200
26	75.42273600	12.37224800
27	75.36720700	12.41072700
28	75.38916100	12.42987500
29	75.43690300	12.44207900
30	75.45523100	12.47786600
31	75.51531100	12.45282600
32	75.57168400	12.48371500
33	75.64994700	12.44070000
34	75.57076300	12.40285700

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.